सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*
	वैशाख 31, गुरूवार, शाके 1942– मई 21, 2020 *Vaisakha 31, Thursday, Saka 1942– May 21, 2020*	

भाग 1 (ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, मई 20, 2020

संख्या प.28(5) चिस्वा./ग्रुप-3/2016:-राजस्थान सह-चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 2008 की धारा 4 के खण्ड (i) एवं खण्ड (iii) के प्रावधानानुसार निर्वाचित सदस्यों के नाम उक्त अधिनियम की धारा 6 के अनुसरण में निम्नानुसार प्रकाशित किये जाते है:

राजस्थान सह-चिकित्सा परिषद अधिनियम, 2008 की धारा 4 के खण्ड (i) के प्रावधानानुसार निर्वाचित सदस्य

1.	श्री रविकांत गोयल पुत्र श्री मुरारी लाल गोयल (रजिस्ट्रेशन न. 580)	मुख्य बाज़ार वाया पोस्ट-रेणी, तहसील-रैणी, जिला अलवर – 301409
2.	श्री श्रवण सिंह तंवर पुत्र श्री राधेश्याम तंवर (रजिस्ट्रेशन न. 147)	प्लाट न. 18, आई. एस., मुरलीपुरा स्कीम, जयपुर
3.	श्री राजेश कुमार नागर पुत्र श्री जवाहर लाल धाकड़ (रजिस्ट्रेशन न. 1652)	धाकड़ कॉलोनी, जयपुर रोड, तहसील-टोड़ा रायसिंह, टोंक
4.	श्री अनिल कुमार कुमावत पुत्र श्री कन्हैया लाल कुमावत (रजिस्ट्रेशन न. 169)	प्लाट नं0-35.36, महेश नगर एक्सटेंशन, न्यू लोहा मण्डी रोड़, जयपुर।
5.	श्री अर्जुन सिंह शेखावत पुत्र श्री प्रहलाद सिंह शेखावत (रजिस्ट्रेशन न. 387)	प्लाट नं0 ई-69, फ्लेट नं0 जी-01, पेसिफिक रेजीडेन्सी, करधनी, गोविन्दपुरा, कालवाड़ रोड़, जयपुर
6.	श्री सोनू कुमार शर्मा पुत्र श्री भगवती चरण शर्मा (रजिस्ट्रेशन न. 70)	31, भारत विहार, आगरा रोड, जामडोली जयपुर

(ब) राजस्थान सह-चिकित्सा परिषद अधिनियम, 2008 की धारा 4 के खण्ड (iii) के प्रावधानानुसार निर्वाचित सदस्य

1.	डॉ0 अभिषेक शर्मा	एच-33बी/ए, टेगोर पथ, बनीपार्क, जयपुर-302016

	पुत्र श्री आर.पी. शर्मा	(राजस्थान इन्स्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साईन्सेज, पिलानी)
2.	डॉ0 आलोक सक्सैना	बी-212, वैशाली मार्ग, वैशाली नगर, जयपुर
	पुत्र श्री बी0बी0 सक्सैना	(बृन्दावन इन्स्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साईन्सेज, जयपुर)
3.	श्री अजय कुमार जैन	46, सारती नगर, यमुना पथ, श्याम नगर, जयपुर-302019
	पुत्र श्री मान सिंह जैन	(काबरा इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साईन्सेज, जयपुर)

उक्त सदस्यों का कार्यकाल उनके निर्वाचित तिथि 21.02.2019 से 3 वर्ष तक रहेगा।

राज्यपाल के आदेश से,
अनिल कुमार कौशिक,
उप शासन सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।